न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचोर जिला जालोर

पीठासीन अधिकारी – श्री बद्रीनारायण बिश्नोई आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :– 05 / 2019

प्रार्थीगण

01– गोकल पुत्र हेमाराम
02– जगदीश पुत्र हेमाराम
03– हरिराम पुत्र हेमाराम
जातियांन बिश्नोई निवासीगण विष्णुनगर (बावरला) तहसील सांचोर जिला सांचोर (राज.)

बनाम

अप्रार्थी

01–वीरा पुत्र हरचन्द
02– भेरा पुत्र हरचन्द
03– आसु पुत्र हरचन्द
04– भागीरथ पुत्र हरचन्द
05– भगवाना पुत्र माला
06– सुरता पुत्र माला
07– जगदीश पुत्र गोमदा
08– नरसिंगाराम पुत्र गोमदा
09– भारमल पुत्र गोमदा
10– मांगीलाल पुत्र वीराराम
11– मानाराम पुत्र गोमदा
12– शायतीदेवी पत्नि वीराराम
जातियान बिश्नोई निवासीग विष्णुनगर (बावरला) जिला सांचोर (राज.)
13– भूमिधारी तहसीलदार सांचोर जिला सांचोर (राज.)

प्रार्थना पत्र बाबत् अन्तर्गत धारा 111 सहपठित धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–
1– प्रार्थी वकील श्री धवलचंद बिश्नोई
2– अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 12 एक पक्षीय
2– अप्रार्थी संख्या 13 की ओर से राज पेरोकार नायब तहसीलदार सांचोर

निर्णय दिनांक 05/01/2024

1– प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र दिनांक 31–05–2019 को अन्तर्गत धारा 111 सहपठित धारा 128 आर.एल.आर. एक्ट के तहत पेश किया कि संक्षिप्त में तथ्य निम्न प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111,

उपखण्ड अधिकारी
सांचोर

Scanned with OKEN Scanner

128 आर.एल.आर. एक्ट के तहत पेश कर निवेदन है कि वाके मौजा विष्णुनगर पटवार हल्का बावरला के खेत खसरा संख्या 145, 146, 147, 148, 153 जुमले रकबा क्रमश 0.01 हैक्टर गैर मुमकिन टांका, 2.57 हैक्टर बारानी प्रथम, 0.17 हैक्टर गैर मुमकिन ढाणी, 1.96 हैक्टर बारानी प्रथम, 0.10 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता जुमले रकबा 4.81 हैक्टर प्रार्थीगण का संयुक्त खातेदारी कब्जाकाश्तशुदा के आयें हुये है। प्रार्थीगण की खातेदारी खेत उपरोक्त खसरा नम्बरान आराजी के सेठा से अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 06 का संयुक्त खातेदारी खेत खसरा नम्बर 151, 152, 931, 932 रकबा क्रमश 0.05 हैक्टर, 3.10 हैक्टर, 0.10 हैक्टर, 1.00 हैक्टर जुमले रकबा 4.25 हैक्टर का आया हुआ है। प्रार्थीगण की खातेदारी में खसरा संख्या 153 रकबा 0.10 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता आया हुआ है जो मौके पर रास्ता आया हुआ है जो प्रार्थीगण की आवागमन के उपयोग व उपभोग में आता रहता है। अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 06 प्रार्थीगण के उपरोक्त खसरा नम्बरान की आराजी की माठ तोडते रहते है तथा अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के खेत की माठ तोडकर प्रार्थीगण के खातेदारी खसरा नम्बर 153 रकबा 0.10 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता की भूमि अपने खेत में जबरदस्ती मिलाकर हडपना चाहते है प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को मना किया तो अप्रार्थीगण आवेश में आकर लडाई झगडे पर उतारू हो गये जिस पर प्रार्थीगण ने प्रार्थीगण के खातेदारी खेत उपरोक्त खसरा नम्बरान आराजी का सीमांकन करवाने हेतु तहसीलदार सांचोर को प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर हल्का पटवारी बावरला ने दिनांक 11–04–2019 को सीमाकंन कर पैमाईश रिपोर्ट पेश की जिसके अनुसार संलग्न नक्शा प्रदर्श 'अ' में वर्णित मार्क ए टू बी स्थान की लम्बाई 296 मीटर होनी चाहिए जो मौके पर 10 मीटर कम है तथा मार्क एक्स टू वाई की लम्बाई 252 मीटर होनी चाहिए जबकि मौके पर 242 मीटर है तथा मार्क सी टू डी की लम्बाई 208 मीटर होनी चाहिए जबकि मौके पर 198 मीटर ही है तथा उसके बाद 08 मीटर गैरमुमकिन रास्ता खसरा नम्बर 153 रकबा 0.10 हैक्टर आया हुआ है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण के खेत की माठ तोडकर प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 153 रकबा 0.10 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता की भूमि माठ तोडकर अप्रार्थीगण के खेत में अवैध रूप से मिला दी है जो संलग्न हल्का पटवारी की मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के खातेदारी खेत का सीमांकन कर नियमानुसार पत्थरगढी करने का आदेश प्रदान किया जावें।

02– यह है कि प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर कार्यालय टिप्पणी पर उक्त प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या 05/2019 दिनांक 31–05–2019 दर्ज

उपखण्ड अधिकारी
सांचोर

Scanned with OKEN Scanner

रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस से तलब किया गया।

03— यह है कि प्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 148, 146, 147, 153 के सेठा से अप्रार्थीगण संख्या 07 ता 12 का संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 155 रकबा 4.36 हैक्टर का आया हुआ है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 153 रकबा 0.10 हैक्टर गैर मुमकिन रास्ता की भूमि सेठा तोडकर अपने खेत में मिलाना चाहते है। जिससे अप्रार्थीगण के खेत की माठ तोडते रहते है। प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सी.पी.सी. के तहत पेश कर उपरोक्त अप्रार्थीगण को पक्षकार बनाने का निवेदन किया जिसपर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर संशोधित शिर्षक वाद पेश करने का आदेश दिया गया एवं अप्रार्थी संख्या 07 से 12 को संयोजित कर पक्षकार बनाया गया।

04— यह है कि प्रार्थीगण ने संशोधित वाद शिर्षक पेश किया जिस पर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रांर्थीगण अप्रार्थीगण को सम्मन जरिये रजिस्टर्ड डाक से सम्मन भेजे गये जिसकी रसीद प्रार्थीगण के वकील ने दिनांक 14—09—2021 को पेश की जिस पर अप्रार्थीगण न्यायालय में अनुपस्थित रहे जिस पर अप्रार्थीगण को न्यायहित में जवाब पेश करने हेतु अंतिम अवसर दिया गया। दिनांक 21—06—2023 को अप्रार्थीगण की डिलेवरी रिपोर्ट ऑनलाईन रसीद पेश की गई जो शामिल पत्रावली की जाकर पत्रावली अप्रार्थीगण के जवाब इन्तजार मे रखी गई। दिनांक 24—07—2023 को अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहे, अप्रार्थीगण को जवाब पेश करने हेतु न्यायहित में अंतिम अवसर दिया गया एवं तहसीलदार सांचोर को मौका रिपोर्ट पेश करने हेतु तहरीर जारी की गई।

05— यह है कि अप्रार्थीगण हाजिर अदालत होकर जवाब पेश करने में असमर्थ रहे जिस पर अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 12 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई तथा तहसीलदार सांचोर ने मौका रिपोर्ट न्यायालय में पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली अंतिम बहस हेतु रखी गई।

मैनें उभय पक्षकारान की बहस सुनी। जिस पर मनन किया तथा प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजो का भलीभांति अध्ययन एवं अवलोकन किया। प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा जमाबंदी मे वर्णित खसरा नम्बरान 145, 146, 147, 148 व खसरा नम्बर 153 रकबा 0.10 हैक्टर

उपखण्ड अधिकारी
सांचोर

गैरमुमकिन रास्ता प्रार्थीगण का संयुक्त खातेदारी का आया हुआ है तथा उक्त आराजी राजस्व रेकर्ड के ट्रेस नक्शा में अलग से तरमीमसुदा है। तहसीलदार सांचोर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 27–07–2023 पर मनन किया गया।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सहपठित धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार सांचोर को आदेशित किया जाता है कि ग्राम विष्णुनगर पटवार हल्का बावरला में स्थित प्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 145 रकबा 0.01 हैक्टर गैर मुमकिन टांका, खसरा नम्बर 146 रकबा 2.57 हैक्टर बारानी प्रथम,खसरा नम्बर 147 रकबा 0.17 हैक्टर गैर मुमकिन ढाणी, खसरा नम्बर 148 रकबा 1.96 0.19 हैक्टर बारानी प्रथम, खसरा नम्बर 153 रकबा 0.10 हैक्टर गैरमुमकिन रास्ता जुमले रकबा 7.41 हैक्टर की कमेटी गठित कर पाडौसी खातेदारो को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में प्रार्थीगण की भूमि का सीमाकंन कर स्थाई नेखमबंदी की जावे तथा आवश्यकता हो तो पुलिस ईम्दाद भी ली जावे। इस आशय की तहसीलदार सांचोर को तहरीर जारी की जावे तथा आदेश की पालना 15 दिवस के भीतर–भीतर की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
सांचोर

निर्णय आज दिनांक 04.1.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांचोर

Scanned with OKEN Scanner